सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 19/2014 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2014/00039

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री नाथु सिंह पिता भीम सिंह राजपूत, निवासी बस्सी सामचोत, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती कंकु पत्नि नाथु सिंह राजपूत, निवासी बस्सी सामचोत, तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर।
3. श्रीमती मेताब पत्नि विजय सिंह राजपूत, निवासी महादेव खेडा, बस्सी सामचोत, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती भुरी पत्नि सवाई सिंह राजपूत, निवासी महादेव खेडा, बस्सी सामचोत, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
5. श्रीमती केसी पत्नि भेरा मीणा, निवासी बस्सी झुंझावत, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
6. श्री केसुराम पिता कानुराम मीणा, निवासी बस्सी झुंझावत, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 12-06-2019

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत बस्सी सामचोत, तहसील सलुम्बर के आराजी संख्या 4781/1 रकबा 0.40 हेक्टेयर भूमि श्री नाथु सिंह पिता भीम सिंह राजपूत, कंकु पत्नि नाथु सिंह राजपूत सा. देह खाते, आराजी संख्या 4781/2 रकबा 0.42 हेक्टेयर भूमि श्रीमती मेताब पत्नि विजय सिंह राजपूत, श्रीमती भुरी पत्नि सवाई सिंह राजपूत सा. देह. खाते एवं आराजी संख्या 4883 रकबा 0.67 हेक्टेयर भूमि श्रीमती केसी पत्नि भेरा मीणा एवं श्री केसुराम पिता कानुराम मीणा सा. देह खाते के नाम गैर खातेदार हक से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम पंचायत बस्सी सामचोत, तहसील सलुम्बर के मौतबीरान द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटियों का कब्जा आवंटन

से आज दिनांक तक नही रहा है एवं न ही आवंटन से पूर्व कब्जा था। आराजी नम्बर 4781/1 रकबा 0.40 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 4781/2 रकबा 0.42 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा होकर थूअर की बाड़ लगी हो भूमि मौके पर पड़त है एवं आराजी संख्या 4883 रकबा 0.67 हेक्टेयर भूमि पर पत्थर का कोट व थूअर की बाड होकर कच्चा मकान बना हुआ है जो कालू पिता पूंजा मीणा द्वारा बनाया जाना बताया गया है। उक्त तीनों आराजीयात की भूमि मगरी होकर मौके पर पड़त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर विपक्षीगणों के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को खारिज किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया, किन्तु जवाब हेतु विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी मामले में जवाब प्रस्तुत न करने से प्रकरण में जवाब बन्द किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 527/2002, 314/2001 एवं 310/2001 तलब की जाकर प्रकरण में एक तरफा बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्होने तहसीलदार सलुम्बर के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मामले में आवंटन शर्तो की पालना न करना, मौके पर भूमि पड़त होना, आवंटियों का गैर खातेदार होना आदि आधारो पर विपक्षीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

हमने राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन किया एवं उसमें वर्णित तथ्यों पर मनन किया। मामले में सर्वप्रथम तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 2 में मौतबिरान द्वारा आवंटियों का कब्जा आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात् न होना अवगत कराया है किन्तु कॉलम संख्या 3 की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में आराजी संख्या 4781/1 एवं 4782/2 पर कब्जा होना बताया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के दोनों कॉलम में कथनों में भिन्नता है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट स्थिति प्राप्त किये बिना किसी भी आवंटी के आवंटन को प्रथम दृष्टया निरस्त किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त प्रार्थना पत्र मौतबिरान के कथन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत जनसुनवाई आवेदन पत्र के आधार पर इस न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना जाहिर आया है, किन्तु तहसीलदार सलुम्बर द्वारा मामले में आवंटीगण से कोई साक्ष्य सबूत इस बाबत प्राप्त किये गये हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नही है। अतः तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार सलुम्बर को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण में हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए पुनः

विस्तृत जांच करे एवं यदि मामला आवंटन निरस्ती योग्य पाया जावे तो प्रत्येक आवंटन का पृथक पृथक 14 (4) का प्रार्थना पत्र मय अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर